उत्तरांचल शासन
चिकित्सा अनुभाग
संख्या : 1177/चि-2-2002-210/2002
देहरादून : 09 अक्टूबर, 2002

अधिसूचना

फार्मेसी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम-VIII सन् 1948) की धारा-30 की उपधारा (1) तथा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्यपाल महोदय उत्तरांचल राज्य के फार्मेसी व्यवसायियों को पंजीकृत किये जाने हेतु अधिसूचना के प्रकाशन के तिथि से निम्न व्यक्तियों से गठित पंजीकरण अधिकरण की स्थापना करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1. श्री मदन लाल जोशी, चीफ फार्मासिस्ट, लेप्रोसी अस्पताल, देहरादून : सदस्य
2. श्री जयपाल सिंह राणा, फार्मासिस्ट, एफ.आर.आई. चिकित्सालय, देहरादून : सदस्य
3. श्री एस.के. गुप्ता (बी.फार्मा.), निदेशक, श्रीमन्त साई मेडिसिन एजेन्सीज, प्रा0लि0, गांधी रोड, देहरादून : सदस्य

इसके अतिरिक्त श्री एस.के. मजूमदार, औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण अधिकारी, उत्तरांचल को पंजीकरण अधिकरण का निबन्धक जो कि उक्त अधिकरण के सचिव के दायित्वों का निर्वहन भी करेंगे, को नियुक्त करते है। अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत अर्ह व्यक्ति निम्नवत् पंजीयन अधिकरण में अपना नाम पंजीकृत कर सकते है :-

1. कि पंजीकरण अधिनियम के गठन की अधिसूचना प्रकाशन के एक माह बाद की तिथि से उत्तरांचल सरकार द्वारा अधिसूचित फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा-42 के अनुसार अर्ह व्यक्तियों को अपना पंजीयन कराने हेतु अधिकरण के समक्ष अधिसूचित वांछित फीस आवेदन पत्र के साथ जमा कराना होगा।
2. कि पंजीकरण अधिकरण के किसी निर्णय से व्यथित व्यक्ति को पंजिका के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर डा0 आर.सी. आर्या, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून जो अपील सुनने के सक्षम अधिकारी होंगे, के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
3. कि उपरोक्त सक्षम अधिकारी द्वारा अपील पर दिये गये निर्णय के अनुसार निबन्धक पंजिका में उचित संशोधन आवश्यक हो तो करेंगे। तत्पश्चात् ही निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्र जारी करेंगे।

आज्ञा से,
आलोक कुमार जैन
सचिव

संख्या - 1177(1)/चि-2-2002-210/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तरांचल, देहरादून।
2. सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
4. निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री, उत्तरांचल शासन को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव महोदय, उत्तरांचल शासन।
6. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तरांचल, देहरादून।
7. निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून।
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा इसकी 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध करायी जायें।
9. औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून।
10. औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून।
11. सभी सदस्यगण।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
अनु सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of Notification No. 1177/M-2-2002-210/2002 dated 09 October, 2002.

GOVERNMENT OF UTTARANCHAL
MEDICAL SECTION-2
No. :1184 /M-2-2002-210 /2002
Dated : Dehradun 09 October, 2002

NOTIFICATION

In exercise of powers under sub section (1) and (2) of section 30 of the Pharmacy Act, 1948 (Central Act. No. VIII of 1948) the Governor, to register persons of Pharmacy profession is pleased to constitute Registration Tribunal from the date of publication of the notification having following members :-

1.	Shri Madan Lal Joshi, Chief Pharmacist, Leprosy Hospital, Dehradun	:	Member
2.	Shri Jai Pal Singh Rana, Pharmacist, F.R.I. Hospital, Dehradun	:	Member
3.	Shri S.K. Gupta (B. Pharma), Director, M/s Sai Medicine Agencies Pvt. Ltd., Gandhi Road, Dehradun	:	Member

and Shri S.K. Majumdar, Drug Licensing and controlling authority, Uttaranchal, as registrar who shall discharge the duties of the Secretary. Qualified person under provisions of the Act shall be eligible to get their name registered in the registration tribunal as follows :-

1. That after a month of the notification of constitution of the Registration Tribunal the person who is qualified as per notified section 42 of the Pharmacy Act, 1948 shall submit his application alongwith requisite fees before the Registration Tribunal for registration.
2. That any person aggrieved by a decision of the Registration Tribunal shall have to appeal before Dr. R.c. Arya, Additional Director, Directorate General Health Services, Uttaranchal, Dehradun, who shall be the appellate authority.
3. That the registrar shall move necessary corrections, if required, after the decision of the appellate authority in the register and then issue desired certificate on proforma.

By Order,

Alok Kumar Jain
Secretary